तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6।17	पत्रावली पटलमें विद्वान अधिवक्ता पेश। रिपोर्ट सीमा देखी गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी की तलबी हेतु सम्मन जारी होकर दि० 20/6/17 को पत्रावली पेश हो।	
	राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार–2017" कैम्प स्थल.....बुधावास..... दिनांक.....30/6/2017.....	
	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा धारा 28(1) भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अवार्ड दि० 8.1.16 में संशोधन कर अवाप्तशुदा भूमि को औद्योगिक भूमि के अनुसार मुआवजा तय कर भुगतान करने का अनुरोध चाहा गया है।	
	प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तृतीय परिशिष्ट की श्रेणी में नहीं	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की त... में जारी
	आता है, और न ही L.R. Act 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही गवर्न होता है। चूंकि प्रकरण में अंकित भूमि के हक में यदि मुआवजा तय किया जा चुका है, और प्रार्थी उस मुआवजे में भूमि की किस्म अनुसार बैसी मुआवजा चाहता है, तो उसे या उन्हे आदेश दि० 8.1.16 के प्रक्रम में सक्षम न्यायालय में चाराजोई पेश करनी चाहिये थी। चूंकि अवाप्त शुदा भूमि का अंतिम मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा तय किया जा चुका है, ऐसी सूरत में उक्त मुआवजे में इस प्रकार फेरफार किया जाना प्रस्तुत प्रा० पत्र के अन्तर्गत उचित नहीं है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में इस बाबत / अनुतोष बाबत चाराजोई हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रा० पत्र इसी विनिश्चय के साथ खारिज किया जाता है। पत्रावली की निर्णय में गणना की जाकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय आज दि० 30/6/17 को राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया। (चिन्मयी गोपाल) उपखण्ड अधिकारी I.A.S.	